संख्या-177/2019/2256/22-2-2019-17(391)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 29 नवम्बर , 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र श्री महाप्रताप सिंह, निवासी जिला-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-26.06.2019) दिनांक-08.08.019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र श्री महाप्रताप सिंह, जो-सुजौलिया, थाना-कमलापुर, हालपता-न्यू यूनियन बैंक के पीछे अलादातपुर, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 29.03.2001 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर उदयपाल, रामप्रसाद एवं धर्मपाल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-410/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत ए.एस.जे/एफ.टी.सी.नं0-03 सीतापुर के आदेश दिनांक 30.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 01.05.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 11.05.2019 तक 18 वर्ष 01 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 03 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समितिकी बैठक दिनांक 16.05.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा भोगी गई सजा लाईसेंसी बंदूक से 03 व्यक्तियों की हत्या करने पुलिस रिपोर्ट नकारात्मक होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित की है, किन्तु बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र श्री महाप्रताप सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी इन्द्रजीत सिंह उर्फ गुड्डू (बन्दी संख्या-45301) पुत्र श्री महाप्रताप सिंह, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-177/2019/2256(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-177/2019/2256/22-2-2019-17(391)/2016

दिनांक 29 नवम्बर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र श्री महाप्रताप सिंह निवासी जिला-सीतापुर, जो-सुजौलिया, थाना-कमलापुर, हाल पता-न्यू यूनियन बैंक के पीछे अलादातपुर, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 29.03.2001 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर उदयपाल, रामप्रसाद एवं धर्मपाल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-410/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत ए.एस.जे/एफ.टी.सी.नं0-03 सीतापुर के आदेश दिनांक 30.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 01.05.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 11.05.2019 तक 18 वर्ष 01 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 03 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समितिकी बैठक दिनांक 16.05.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा भोगी गई सजा लाईसेंसी बंदूक से 03 व्यक्तियों की हत्या करने पुलिस रिपोर्ट नकारात्मक होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित की है, किन्तु बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र श्री महाप्रताप सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारापरोन्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in